न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम-1, कोटा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी	:	आशीष दाधीच RJS (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
आपराधिक विविध प्रकरण संख्या	:	1206/2026
एफ.आई.आर.संख्या	:	289/2026
अन्तर्गत धारा	:	4/25 आयुध अधिनियम
पुलिस थाना	:	उद्योग नगर, कोटा

शाहरूख हुसैन उर्फ शाहरूख छबड़ा पुत्र अजीज मोहम्मद, निवासी डीसीएम, इन्द्रागांधी नगर, हाल ई-20, कंसुआ, अर्फोडेबल योजना, पुलिस थाना उद्योग नगर, कोटा (राज.)

.....प्रार्थी अभियुक्त

विरुद्ध

राजस्थान सरकार, जरिये लोक अभियोजक, कोटा .....विपक्षी

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भा.ना.सु.संहिता

उपस्थित:-

1. विद्वान अधिवक्ता श्री जाकिर मोहम्मद, प्रार्थी अभियुक्त की ओर से
2. विद्वान अपर लोक अभियोजक राज्य सरकार की ओर से

-:: आदेश ::- दिनांक: 27.05.2026

1. प्रार्थी अभियुक्त शाहरूख हुसैन उर्फ शाहरूख छबड़ा की ओर से जमानत का यह प्रार्थना पत्र उसके अधिवक्ता ने जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा के यहां पेश किया जो विधिवत सुनवाई एवं निस्तारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। नकल अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। अनुसंधान पत्रावली आहूत कर अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

2. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी अभियुक्त का उक्त उनवानी प्रकरण में लगाये गये आरोपों से कोई लेना-देना नहीं हैं। प्रार्थी अभियुक्त को उक्त प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी अभियुक्त से किसी प्रकार की कोई बरामदगी या अनुसंधान करना शेष नहीं है। प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध जिन पूर्व के प्रकरणों का हवाला दिया है वे झूठें है व कुछ पेडिंग है। प्रार्थी अभियुक्त दिनांक 17.05.2026 से अभिरक्षा में है। प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। प्रार्थी अभियुक्त कोटा का स्थायी निवासी है, जिसके फरार होने एवं गवाहान को टेम्परविद किये जाने की संभावना नहीं है। प्रकरण के अनुसंधान एवं तत्पश्चात् विचारण में समय लगने की संभावना बताते हुए प्रार्थी अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

Authenticated Document

3. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने प्रार्थी अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए अभियुक्त की जमानत खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4. उभयपक्ष को सुनकर उनके तर्कों पर मनन किया गया। अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 17.05.2026 को पंकज सिंह हैड कानि ने पुलिस थाना उद्योग नगर, कोटा पर एक फर्द चैकिंग व जब्ती इस आशय की पेश की कि उक्त दिनांक को वह स्वयं मय जाप्ता के मय अनुसंधान बाक्स इत्यादि के थाने से समय 5.51 पीएम पर रवाना होकर गस्त इलाका करते हुए समय 7.35 पीएम पर मल्टी मेटल के सामने पहुंचा जहां पर जरिये मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिसने आसमानी रंग की वाली रोड पर चाकू जैसा कार्ड हथियार लेकर घूम रहा है जो कोई वारदात कर सकता है। उक्त सूचना से हमराही जाप्ता को अवगत कराते हुए तुरन्त रवाना होकर सांकेतिक स्थान के पास पहुंचे। जहां मुखबिर द्वारा बताये हुलिये का व्यक्ति खडा नजर आया जो पुलिस को बावर्दी अपनी ओर आता देखकर तेज तेज कदमों से चलने लगा। जिसे हमराही जाप्ते की मदद से घेरा देकर रोका व नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम शाहरुख हुसैन उर्फ शाहरूख छबडा बताया। उक्त व्यक्ति से पुलिस जाप्ते को देखकर तेज तेज कदमों से जाने का कारण पूछा तो एकदम घबरा गया व य कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उक्त व्यक्ति के पास आपत्तिजनक वस्तु हो सकती है। ऐसी स्थित में डिटेन किये गये व्यक्ति की तलाशी लेना आवश्यक होने से स्वतंत्र गवाहान की तलाशी की गयी। स्वतंत्र गवाहान उपलब्ध नहीं होने पर, नियमानुसार जाप्ते से ही सोनू यादव कानि व अर्जुन कानि को गवाह मामूर कर नियमानुसार उक्त व्यक्ति की तलाशी ली गई तो पहने हुए पाजामें की दाहिनी जेब में घुसेडी हुयी एक तेज धारदार छुरी लोहानुमा मिली। जिसका नाप किया तो तेज धारदार फल की लम्बाई 13.00 सेमी व दस्ते की लम्बाई 12.00 सेमी, छुरी की कुल लम्बाई 25 सेमी हुयी। डिटेन किये गये व्यक्ति से अवैध धारदार छुरी रखने बाबत लाईसेन्स या अनुज्ञा पत्र चाहा तो नहीं होना बताया...इत्यादि। फर्द चेकिंग व जब्ती के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 289/26 अन्तर्गत धारा 4/25 आयुध अधिनियम में दर्ज होकर अन्वेषणाधीन है।

5. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत: Jugal Vs State of Rajasthan S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 13513/2020 की अनुपालना में अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में निम्न आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए हैं:-

क्रसं	मुक. नं.	अपराध धारा	पुलिस थाना	चार्जशीट नं.	वर्तमान स्थिति
1.	1255/12	4/25 Arms Act	उद्योग नगर	1121/12	2 माह का साधारण कारावास व 300 रूपये जुर्माना

2.	57/13	147, 341, 323, 384, 427 149 IPC	उद्योग नगर	488/13	दोषमुक्त
3.	24/15	147, 341, 452, 504, 427 IPC	उद्योग नगर	192/15	पेडिंग
4.	810/13	143, 341, 323, 324, 326, 307 IPC, 3/25 Arms Act	उद्योग नगर	923/13	दोषमुक्त
5	697/15	341, 323, 365, 395 IPC	उद्योग नगर	648/15	दोषमुक्त
6	380/16	384, 385, 387 IPC	उद्योग नगर	430/16	दोषमुक्त
7	529/17	16/54 Excise Act	उद्योग नगर	407/17	कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा विड्रा
8	549/17	323, 341, 452, 354, 504, 34 IPC	उद्योग नगर	426/17	दोषमुक्त
9.	210/18	4/25 Arms Act	उद्योग नगर	168/18	3 माह का साधारण कारावास व 100 रूपये जुर्माना
10	211/19	4/25 Arms Act	उद्योग नगर	155/19	6 माह के लिए पाबंद व 300 रूपये जुर्माना
11	456/19	380 IPC	उद्योग नगर	358/19	दोषमुक्त
12	387/19	143, 323, 452, 427 IPC 3 SC/ST Act	उद्योग नगर	206/20	पेडिंग
13	432/18	341, 452, 427, 384, 34 IPC	उद्योग नगर	368/18	पेडिंग
14	80/20	3/25 Arms Act	अनन्तपुरा	67/20	पेडिंग
15	112/20	307, 34 IPC	उद्योग नगर	134/20	5 साल कठोर कारावास व 2000/- जुर्माना
16	304/24	4/25 Arms Act	उद्योग नगर	135/24	पेडिंग
17	579/24	91/54 Excise Act	उद्योग नगर	334/24	पेडिंग
18	27/25	3/25 Arms Act	उद्योग नगर	251/25	पेडिंग
19	622/25	4/25 Arms Act	उद्योग नगर	पेडिंग	-

6. अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन एवं प्रार्थी के आपराधिक अभिलेख से प्रकट है कि प्रार्थी के विरूद्ध पूर्व में यद्यपि 19 प्रकरण संस्थित हुए हैं, जिनमें से 7

प्रकरण न्यायालय में लम्बित होना, 1 प्रकरण अनुसंधानरत होना तथा 11 प्रकरण निस्तरित होना बताये गये हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त: प्रभाकर तिवारी बनाम स्टेट ऑफ यूपी के अवलोकन से अभियुक्त के पूर्व के आपराधिक रिकार्ड को जमानत निरस्त करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है। प्रार्थी अभियुक्त के कब्जे से एक तेज धारदार बटनदार छुर्री बरामद हुई है। प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध धारा 4/25 आयुध अधिनियम के अपराध का आरोप है जो मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रार्थी अभियुक्त दिनांक 17.05.2026 से पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रार्थी अभियुक्त से अभिरक्षात्मक अनुसंधान शेष नहीं है। प्रकरण के अनुसंधान एवं तत्पश्चात् विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रकरण के गुणावगुण पर बिना कोई टिप्पणी किये प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए मैं प्रार्थी अभियुक्त की जमानत लेना उचित समझता हूं।

7. निष्कर्षतः प्रार्थी अभियुक्त शाहरूख हुसैन उर्फ शाहरूख छबड़ा की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एतद्द्वारा स्वीकार किया जाकर आदेश है कि यदि प्रार्थी अभियुक्त की ओर से विचारण के दौरान अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में व भविष्य में किसी प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करने की शर्त के साथ राशि 40 हजार का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं राशि 20-20 हजार रुपये की दो सुदृढ़ प्रतिभू (प्रतिभूदाता के आधार कार्ड अथवा मतदाता पहचान पत्र की दो-दो फोटो प्रति सहित) विचारण न्यायालय के संतोषप्रद प्रस्तुत कर दिये जावे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर स्वतंत्र कर दिया जावे। इस जमानत आदेश में ऊपर जो विवेचन किया गया है उसका प्रकरण के गुणावगुण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(आशीष दाधीच)

8. आदेश आज दिनांक 27.05.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष दाधीच)

NAND KISHORE BANSAL
Digitally signed by NAND KISHORE BANSAL
Date: 2026.05.29 12:51:40 +0000

Authenticated Document